निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण संख्या 62/दावा/19

तारीख दायरा 16.08.2019

उनवान

1. प्रभूलाल पिता देवा जाति गुर्जर निवासी मनपसर तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

1. गुलाबचन्द पिता दल्ला जाति लोधा निवासी मनपसर तहसील मनोहरथाना

–प्रतिवादी

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 24.06.2022

उपस्थित वकील वादी–श्री केसरी सिह पुष्पद

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राज0टी0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम मनपसर पटवार हल्का मनपसर तहसील बांसखेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 201 पुरानी 176 की खसरानम्बर 1131 की 15 बिस्वा, 1659 की 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी कुल 2 किता की 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी वादी के खाते दारी में दर्ज हे वर्णित आराजी में से खसरानम्बर 1131 की 15 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी ने जबरन बलपुर्वक नाजायज रूप से अर्सा 1 साल पूर्व जबरन कब्जा कर लिया गया है। जिसका कि प्रतिवादी को कोई हक एवं अधिकार नही है ओर ना ही प्रतिवादी के खाते में नाम है फिर भी प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है वर्णित आराजी के खसरानम्बर 1131 की 15 बिस्वा आराजी पर से मुझ वादी ने प्रतिवादी से कब्जा हटाने बाबत कई बार कहा परन्तु कोई सुनवाई नही की अन्तिम बार दिनांक 1.6.2019 को प्रतिवादी से कब्जा हटाने बाबत कहने पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा छोडने से साफ इन्कार कर देने से वाद उत्पन्न हुआ है। अतः प्रतिवादी को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। इस आशय बाबत वाद डिक्री किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम मनपसर पटवार हल्का मनपसर तहसील बांसखेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 201 पुरानी 176 की खसरानम्बर 1131 की 15 बिस्वा, 1659 की 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी कुल 2 किता की 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज हे वर्णित

आराजी में से खसरा नम्बर 1131 की 15 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी ने जबरन वलपुर्वक नाजायज रूप से अर्सा 1 साल पूर्व जबरन कब्जा कर लिया गया है। अतः प्रतिवादी को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की खातेदारी आराजी है जिस पर प्रतिवादी का कब्जा बहैसियतहै। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम मनपसर संवत 2070 से 2073 की खाता संख्या नया 201 पुराना 176 पेश किया गया है जिसके अवलोकन से वाद वादी डिकी किये जाने योग्य है। अतः वाद वादी डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मनपसर तहसील बांसखेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 201 पुरानी 176 की खसरानम्बर 1131 की 15 बिस्वा, 1659 की 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी कुल 2 किता की 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी मे से खसरा नम्बर 1131 की 15 बिस्वा पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास टंकण करवाया जाकर सुनवाया गया।

(श्री अभिषेक [illegible] आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड़

डिकी मुकद्मात इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24 / 06 / 2022

प्रकरण संख्या 62 / दावा / 19

तारीख दायरा 16.08.2019

उनवान

प्रभूलाल पिता देवा जाति गुर्जर निवासी मनपसर तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

गुलाबचन्द पिता दल्ला जाति लोधा निवासी मनपसर तहसील मनोहरथाना

–प्रतिवादी

वाद धारा 183 राज0टी0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मुझ **अभिषेक चारण** (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री केसरी सिह पुश्पद मिनजानिबमुद्दालय ——————— ने पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:–

ग्राम मनपसर तहसील बांसखेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 201 पुरानी 176 की खसरानम्बर 1131 की 15 बिस्वा, 1659 की 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी कुल 2 किता की 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी मे से खसरा नम्बर 1131 की 15 बिस्वा पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड